केन्द्रीय बजट

दि.28.2.2006 को संसद में प्रस्तुत बजट 2006-07 की प्रमुख बातें निम्न हैं -

प्रत्यक्ष कर

- आयकर एवं कॉरपोरेट करों में कोई बदलाव नहीं.
- 1/6 स्कीम, जिसके तहत् आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य था, समाप्त कर दी गई.
- 5 वर्ष से अधिक के बैंक डिपॉजिट पर 80 सी के तहत छूट मिलेगी जिसमें सभी डिपॉजिट PPF, NSC आदि शामिल हैं. ब्याज पर कर लगेगा.
- पेंशन स्कीम के तहत धारा 80सीसी के अंतर्गत 10000/- की सीमा समाप्त. अब धारा 80सी की सीमा के अंतर्गत एक लाख तक का विनियोग लम्बी अवधि की पेंशन फंड में किया जा सकेगा.
- एप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में नियोक्ता के प्रतिभाग पर एक लाख तक कोई फ्रिंज बेनीफिट टैक्स नहीं.
- शेयर की खरीद व बिक्री पर सिक्युरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अब 0.25% होगा.
- टुर एण्ड ट्रेवेल के मद में खर्च पर एफबीटी 20% से घटकार 5% किया गया.
- बैंक से नगद निकासी पर कर में बदलाव नहीं.
- धार्मिक ट्रस्टों में दिये गये गुप्तदान पर कर लगेगा परन्तु गुप्तदान यदि पूर्ण धार्मिक ट्रस्ट (Wholly Religious Trust) को दिया गया है तो उसपर कर नहीं लगेगा. आंशिक धार्मिक और आंशिक परोपकारी संस्थाओं को मिले ऐसे दानों पर भी कर लगाया जाएगा जो विशेष रुप से शैक्षिक अथवा चिकित्सा आयोजन के लिए होंगे.
- मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) की दर 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है.

अप्रत्यक्ष कर

- एक्साइज ड्यूटी - मैन मेड फायबर, यार्न एवं फिलामेंट यार्न पर 16% से घटाकर 8% की गई. इम्पोर्ट ड्यूटी - मैनमेड फायबर यार्न पर 15% से घटाकर 10% की गई.
- इम्पोर्ट ड्यूटी कच्चे माल, जैसे DMT, PTA तथा MEG पर 15% से घटाकर 10% की गई.
- शीतल पेय और छोटी कारों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 16% किया गया.
- रु.250/- से रु.750/- तक के खुदरा कीमत के जूतों पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% किया गया.
- सभी आयातों पर CVD 4% की गई.

सर्विस टैक्स

सर्विस टैक्स की दर 10% से बढ़ाकर 12% किया गया एवं इसमें निम्न सेवाओं को और शामिल किया गया -

1. ATM Operations
2. रखरखाव व प्रबंधन
3. किसी रजिस्ट्रार द्वारा किसी निर्गम को उपलब्ध कराई गई सेवा
4. शेयर ट्रांसफर एजेण्ट
5. वसूली एजेण्ट
6. विज्ञापन स्थान व समय की बिक्री
7. प्रिंट मीडिया को और खेलकूद के आयोजन को छोड़कर अन्य प्रतियोगिता के आयोजन
8. अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा इकोनॉमी क्लास को छोड़कर
9. सरकारी रेल के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा रेल के माध्यम से मालों का परिवहन
10. जनसम्पर्क सेवायें
11. पोत प्रबंधन सेवायें
12. इन्टरनेट टेलीफोन सेवायें
13. क्रूज पोत द्वारा व्यक्तियों का परिवहन
14. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य कोई कार्ड संबंधी सेवायें.

रेलवे बजट

- यात्री किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं.
- एसी प्रथम श्रेणी का किराया 18% कम एसी द्वितीय श्रेणी का किराया 10% कम किया गया.
- पूर्ण वातानुकूलित "गरीब रथ" दिल्ली - पटना, दिल्ली - मुंबई, दिल्ली - चेन्नई और सहरसा - अमृतसर के बीच चलेगी जिसका किराया एसी 3 टायर के किराये से 25% कम होगा.
- किसी राष्ट्रीय संस्थान में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण करवाने के लिए यात्रा करने वाले को स्लीपर एवं द्वितीय श्रेणी के किराये में 50% छूट मिलेगी.
- सभी बड़े स्टेशनों पर एटीएम एवं सायबर कैफे खोले जाएँगे.
- पेट्रोलियम पदार्थों के माल भाड़े में 8 प्रतिशत कमी.
- बेरोजगार युवकों के लिए जनसाधारण टिकट बुकिंग योजना शुरु होगी